प्रा(५५ -

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप) अररिया–24 / 2022 4323 **पटना दिनांक** 3/12/2022

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक 553 दिनांक 03.09.2022 द्वारा श्री बैधनाथ मंडल, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02139) के विरूद्ध लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करने, कार्य में लापरवाही बरतने आदि का आरोप प्रतिवेदित करते हुए कार्य मुक्त करने की अनुशंसा की गयी थी। प्रतिवेदित आरोप एवं की गयी अनुशंसा के आलोक में निदेशालय पत्रांक 2843 दिनांक 13.10.2022 द्वारा आरोपित से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है।

श्री मंडल द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित समय पर समर्पित किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपित द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह तथ्य अंकित किया गया है कि रैयतों के जागरूक नहीं होने एवं रैयतों में जानकारी के अभाव के कारण कार्य में विलंब हुआ है।

अतः इनके तथ्य को स्वीकारते हुए एक अवसर देने के उद्देश्य से इनको कार्यमुक्त नहीं करते हुए इनके द्वारा कार्य में शिथिलता बरतने के दृष्टिगत 03 माह के मानदेय की कटौती की सजा दी जाती है। साथ ही यह चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में यदि अपने कार्य प्रगति में सुधार नहीं लाया जाता है, तो इनका संविदा नियोजन रद्द कर दिया जाएगा।

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप) अररिया–24 / 2022 4323 **पटना दिनांक** 3/12/2022

प्रतिलिपि :– श्री बैधनाथ मंडल, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02139), बंदोबस्त कार्यालय, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप) अररिया–24 / 2022 4323 **पटना दिनांक** 3/12/2022

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप) अररिया–24 / 2022 4323 **पटना दिनांक** 3/12/2022

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरीता कुमारी, प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप